नया इंडिया
बेबाक, बेधड़क, बेमिसाल
05-10-2021

सूचना न देने पर दमकल अधिकारी और एडीएफओ पर जुर्माना

चंडीगढ़ ■ वार्ता/डेस्क

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग मुख्य आयुक्त ने निर्धारित समय में अधिसूचित सेवाएं देने में विफल रहने पर सोनीपत के तत्कालीन फायर स्टेशन अधिकारी और एडीएफओ पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने इसके अलावा, निदेशक अग्निशमन सेवाएं हरियाणा को अधिसूचित सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया-प्रवाह को आसान बनाने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिये हैं।

आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि सोनीपत के तत्कालीन एफएसओ सत्यवान समरीवाल पर बीटीडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड के

मामले में समय के अन्दर अधिसूचित सेवा देने में विफल रहने पर 20000 रुपये तथा पूजा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रामपाल(एडीएफओ) पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि आदेश के एक माह के भीतर राज्य के खजाने में जमा करानी होगी।

उन्होंने बताया कि सोनीपत में अधिसूचित सेवाओं के वितरण के कई मामले लम्बित पाए जाने पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुये एफएसओ यासीन खान को नोटिस जारी कर गत एक अप्रैल के बाद से अग्निशमन विभाग की अधिसूचित सेवाओं के वितरण से सम्बंधित जानकारी भेजने को कहा था जिसमें यह पाया गया कि 79 मामले अत्यधिक विलम्बित पाए गए जबकि 824 मामले रद्द कर दिए गए थे। आयोग की सचिव ने बताया कि सुनवाई के दौरान अधिकारी कोई भी ठोस जवाब नहीं दे सके और उनके दावे फाइल की नोटिंग से मेल भी नहीं खाते थे।